

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर  
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 58/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स शमा नूर मुरादाबादी एण्ड हैदराबादी बिरयानी सेटर, देहली गेट के पास दरगाह क्षेत्र अजमेर

श्री इमरान आलम पुत्र श्री मोइनुद्दीन निवासी कमला बावडी, बाबूगढ रोड, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार


आदेश

दिनांक 13.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.07.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी अजमेर शहर, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री राहुल भावरिया, प्रवर्तन निरीक्षक मैसर्स शमा नूर मुरादाबादी एण्ड हैदराबादी बिरयानी सेटर, देहली गेट के पास दरगाह क्षेत्र अजमेर पर पहुँचे। उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	13656	INDIAN	16.50	27.00	10.50	Domestic Cylinder

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच मैसर्स शमा नूर मुरादाबादी एण्ड हैदराबादी बिरयानी सेटर, देहली गेट के पास दरगाह क्षेत्र अजमेर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर चन्द्रायन गैस सर्विस, अजमेर शहर के कार्मिक अयूब खान पुत्र कयूब खान को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने के बाद आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु

  
(अंश दीप)  
जिला कलक्टर, अजमेर

नियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर स्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन दिया कि दिनांक 21.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर लू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि दिनांक 21.07.2022 को जिला रसद अधिकारी के जांच दल द्वारा मेरे विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कार्यवाही की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की जानकारी के अभाव में अज्ञानतावश घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया भविष्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक कार्य में नहीं करूंगा। अतः प्रकरण निस्तारण फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 21.07.2022 के अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(अंश दीप)  
जिला कलक्टर  
अजमेर